International Labour Organization

सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण ही कार्यस्थल का मूलभूत सिद्धांत और अधिकार

कार्य संबंधित सुरक्षित एवं स्वास्थ्यपूर्ण माहौल (परिवेश) ही कार्यस्थल का मूलभूत सिद्धांत और अधिकार है

जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र में कार्यस्थल के मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के आईएलओ घोषणापत्र (1998) के अनुच्छेद 2 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया जिससे कार्यस्थल के मूलभूत सिद्धांत और अधिकारों में "सुरक्षित और स्वस्थ कार्यगत वातावरण" को शामिल किया जा सके, और इसी क्रम में निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ घोषणापत्र (2008)[1] और ग्लोबल जॉब्स पैक्ट (2009)[2] में भी संशोधन किए जाएं।

कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों का आईएलओ घोषणापत्र

इस घोषणापत्र को 1998 में अपनाया गया था। यह आईएलओ के संविधान और फिलाडेल्फिया घोषणापत्र में निहित सिद्धांतों और अधिकारों को निर्धारित करता है, और कहता है कि सभी सदस्यों का कर्तव्य है कि वे अच्छे भाव और संविधान के अनुसार कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों को सम्मान, संवर्धन एवं आत्मसात करें और उन्हें क्रियान्वित करें।

काम के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल को शामिल करने के फैसले के साथ, आईएलओ घोषणापत्र में अब कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों की पांच श्रेणियां शामिल हैं:

क. संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदाकारी के अधिकार को प्रभावी मान्यता;

ख. सभी तरह के बंधुआ या अनिवार्य श्रम के प्रकारों का उन्मूलन;

ग. बाल श्रम का प्रभावी उन्मूलन;

घ. रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का उन्मूलन; और

ङ. काम करने का एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल।

1 2008 घोषणापत्र एक समन्वित दृष्टिकोण के जरिए उत्कृष्ट श्रम को बढ़ावा देता है, ताकि निम्नलिखित चार रणनीतिक उद्देश्य हासिल किए जा सकें: (i) रोजगार; (ii) सामाजिक सुरक्षा; (iii) सामाजिक संवाद; और (iv) कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांत और अधिकार, जिसमें अब "काम करने के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल" शामिल है।

2 2009 का ग्लोबल जॉब्स पैक्ट मानता है कि कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों का सम्मान मानवीय गरिमा के लिए महत्वपूर्ण है और यह बहाली और विकास के लिए भी जरूरी है। पैक्ट (2022 में संशोधित) सतर्कता बढ़ाने की अपील करता है जिससे जबरन श्रम, बाल श्रम और कार्यस्थल पर भेदभाव के विभिन्न प्रकारों को बढ़ने से रोका जा सके, उसका निवारण हो और काम का माहौल सुरक्षित और स्वस्थ बने।

यह ऐतिहासिक निर्णय उस प्रक्रिया का नतीजा था जो औपचारिक रूप से 2019 में शुरू हुई थी, जब आईएलओ के भावी श्रम-कार्य के लिए शताब्दी घोषणापत्र के जरिए यह स्वीकार किया था कि "उत्कृष्ट श्रम के लिए काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियां जरूरी हैं" और आईएलओ के संचालन निकाय से अनुरोध किया था कि वह आईएलओ के श्रम के भविष्य के लिए शताब्दी घोषणापत्र से जुड़े प्रस्ताव में "जितनी जल्दी संभव हो, कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के फ्रेमवर्क में कार्य संबंधित सुरक्षित एवं स्वास्थ्यपूर्ण शर्तों को शामिल करने के प्रस्तावों पर विचार करे।"[3]

श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का संरक्षण आईएलओ के संवैधानिक उद्देश्यों में प्रमुखता से शामिल है। आईएलओ के संविधान (1919) की प्रस्तावना में कहा गया है कि "काम से उत्पन्न होने वाली बीमारी, रोगों और चोटों से श्रमिकों का संरक्षण" उन सुधारों में शामिल है, जिनकी "तत्काल आवश्यकता है।" अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित घोषणापत्र (फिलाडेल्फिया घोषणापत्र) (1944) स्वीकार करता है कि संगठन के आगे के कार्यक्रमों का यह "महान दायित्व" है कि "वह सभी व्यवसायों में श्रमिकों के जीवन और स्वास्थ्य का पर्याप्त संरक्षण करेंगे"।

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने यह फैसला भी किया था कि वह व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (संख्या 155) और व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2006 (संख्या 187) को मूलभूत कन्वेंशस के तौर पर निर्धारित करेगा जोकि उसके इस फैसले के अनुरूप होगा कि वह काम के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल को, कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों में से एक मानता है।

आईएलओ के सभी सदस्यों का यह दायित्व है कि वे अच्छे भाव से और आईएलओ के संविधान के अनुरूप कार्यस्थल के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल के मूलभूत अधिकार को सम्मान और उसे बढ़ावा दें और उसे क्रियान्वित करें, भले ही उन्होंने इन कन्वेंशंस को मंजूरी दी हो अथवा नहीं।

इस आलोक में 1998 का घोषणापत्र यह स्वीकार करता है कि यह आईएलओ का कर्तव्य है कि वह अपने सदस्य देशों को, उनकी स्थापित और स्पष्ट जरूरतों के अनुरूप, विभिन्न प्रकार से मदद करे, जैसे:

- तकनीकी सहयोग और मदद देना ताकि मुख्य कन्वेंशस की मंजूरी और उन्हें लागू करने को बढ़ावा मिले;
- जो सदस्य अभी इस स्थिति में नहीं है कि वे कुछ या सभी मुख्य कन्वेंशंस को मंजूरी दे सकें, उन्हें मूलभूत अधिकारों से जुड़े सिद्धांतों को सम्मान एवं बढ़ावा देने और उन्हें क्रियान्वित करने के प्रयासों में मदद देना जो इन कन्वेंशस का विषय हैं; और
- आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वातावरण तैयार करने में सदस्य देशों की मदद करना।

3 सम्मेलन के अनुरोध के जवाब में, संचालन निकाय ने विकल्पों की समीक्षा करने और सबसे कुशल तरीकों को स्पष्ट करने के लिए नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक चार चर्चाएं कीं; देखें GB.337/INS/3/2, GB.341/INS/6, GB.343/INS/6 और GB.344/INS/6

कार्य संबंधित सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण माहौल को कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के रूप में मान्यता दिलाने वाली मुख्य घटनाएं

1919

अंतरराष्ट्रीय श्रम आयोग ने आईएलओ संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि "काम से उत्पन्न होने वाली बीमारी, रोगों और चोटों से श्रमिकों का संरक्षण" उन सुधारों में शामिल है, जिनकी "तत्काल आवश्यकता है।"

1944

आईएलओ के लक्ष्यों और उद्देश्यों से संबंधित आईएलओ फिलाडेल्फिया घोषणापत्र को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 26वें सत्र में मंजूर किया गया था। यह कहता है कि संगठन के आगे के कार्यक्रमों का यह "महान दायित्व" है कि "वह सभी व्यवसायों में श्रमिकों के जीवन और स्वास्थ्य का पर्याप्त संरक्षण करेंगे"।

1966

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय कोवेनेंट को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंजूर किया गया था। यह जीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मानवाधिकारों की गारंटी देता है। इसका अनुच्छेद 7 (बी) "काम करने की सुरक्षित और स्वस्थ स्थितियों" के अधिकार को मान्यता देता है।

1981

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन (संख्या 155) और उससे जुड़ी सिफारिश (संख्या 164) को मंजूर किया गया। ये राष्ट्रीय और कार्यस्थलीय स्तर पर काम के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुधारने वाले मुख्य सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं।

1998

कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के आईएलओ घोषणापत्र को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 86वें सत्र में अपनाया गया। यह एक ऐतिहासिक राजनीतिक वक्तव्य को दर्शाता है जो आईएलओ की सदस्यता में निहित दायित्वों और प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है। यह कहता है कि सदस्य सद्भाव और आईएलओ के संविधान के अनुरूप कार्यस्थल के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल के मूलभूत अधिकार को सम्मान और उसे बढ़ावा दें और उसे महसूस करें।

2003

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 91वें सत्र में अपनाया गया था। इसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय निवारक संस्कृति को व्यापक तौर से बढ़ावा देते हुए कार्यस्थलीय दुर्घटनाओं और रोगों को कम करने में संगठन की भूमिका को दोहराया गया है। साथ ही राष्ट्रीय और उपक्रम स्तर पर व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच) के बेहतर प्रबंधन की बात कही गई है।

2006

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन (संख्या 187) और उससे जुड़ी सिफारिश (संख्या 197) को अपनाया गया। वे राष्ट्रीय स्तर पर निवारक ओएसएच संस्कृति के निर्माण और काम करने के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल के श्रमिकों के अधिकार को हर संबंधित स्तर पर प्रोत्साहित करने की अपील करते हैं।

2008

निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर आईएलओ घोषणापत्र को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 97वें सत्र में अपनाया गया। यह संगठन के मूल्यों और उत्कृष्ट श्रम को प्रोत्साहित करने की भावना को मजबूती से दोहराता है। यह कार्यस्थल पर मूलभूत अधिकारों के विशेष महत्व की पुष्टि करता है।

2009

ग्लोबल जॉब्स पैक्ट को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 98वें सत्र में अपनाया गया था। यह रोजगार पर विश्वव्यापी संकट के सामाजिक प्रभाव पर केंद्रित है। यह याद दिलाता है कि कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों का सम्मान मानवीय गरिमा और बहाली एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

2010

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों की व्यापक मंजूरी और प्रभावी कार्यान्वयन को हासिल करने हेतु कार्य योजना (2010-2016) को संचालन निकाय ने अपने 307वें सत्र में मंजूर किया। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर कार्यगत दुर्घटनाओं और बीमारियों के कारण मानवीय पीड़ा और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए ठोस और व्यापक पहल हेतु आधार प्रदान करना था। इसके लिए कन्वेंशन संख्या 155 और उसके 2002 के प्रोटोकॉल तथा कन्वेंशन संख्या 187 की मंजूरी और कार्यान्वयन को बढ़ावा देना था।

2019

श्रम के भविष्य पर आईएलए के शताब्दी घोषणापत्र और उससे जुड़े प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 108वें सत्र में अपनाया गया। घोषणापत्र में कहा गया है कि "सुरक्षित और स्वस्थ कार्यगत स्थितियां उत्कृष्ट श्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं" और प्रस्ताव में अनुरोध किया गया है कि संचालन निकाय "जितनी जल्दी संभव हो, संगठन के मूलभूत सिद्धांतों और कार्यस्थलीय अधिकारों की संरचना में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थितियों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करे"

2022

आईएलओ के मूलभूत सिद्धांतों और कार्यस्थलीय अधिकारों की संरचना में सुरक्षित और स्वस्थ कार्यगत परिवेश को शामिल करने के प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र में अपनाया गया। प्रस्ताव में सुरक्षित और स्वस्थ कार्यगत परिवेश के अधिकार को कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांत और अधिकार के रूप में मान्यता दी गई; कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों पर 1998 के घोषणापत्र में संशोधन के जरिए कन्वेंशन संख्या 155 और 187 को मुख्य कन्वेंशन घोषित किया गया; और इसके परिणामस्वरूप निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर केंद्रित 2008 के आईएलओ घोषणापत्र और 2009 के ग्लोबल जॉब्स पैक्ट में संशोधन किए गए।

कार्यस्थल में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आईएलओ मानकों की संरचना के केंद्र में ओएसएच से जुड़े कन्वेंशंस

आईएलएओ ने अपनी स्थापना के बाद से 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को मंजूर किया है जो खास तौर से ओएसएच से संबंधित हैं। ये उपाय विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और कार्य स्थितियों से संबंधित जोखिमों का नियंत्रण और प्रबंधन तथा श्रमिकों के संरक्षण के न्यूनतम मानकों का प्रावधान करते हैं।

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (संख्या 155) और व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2006 (संख्या 187), जिन्हें अब मुख्य कन्वेंशंस के तौर पर मान्यता मिल गई है, पूरी तरह से पूरक हैं और कार्य के लिए एक सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित सिद्धांतों, कर्तव्यों और अधिकारों को प्रतिबिंबित करते हैं।

इनके दायरे में सभी प्रकार की कार्यगत विधियां और श्रमिक आते हैं, चाहे जोखिम किसी भी प्रकार का हो, और वे दूसरे विशेष ओएसएच उपायों में दिए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य मापदंडों के आधार के तौर पर काम करते हैं।

कन्वेंशन संख्या 155 और 187 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सदस्यों को निम्नलिखित ओएसएच उपायों के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा।

- रेडिएशन संरक्षण कन्वेंशन, 1960 (सं. 115) और सिफारिश (सं. 114)
- व्यवसायगत कैंसर कन्वेंशन, 1974 (सं. 139) और सिफारिश (सं. 147)
- कार्यगत परिवेश (वायु प्रदूषण, ध्वनि और कंपन) कन्वेंशन, 1977 (सं. 148) और सिफारिश (संख्या 156)
- एस्बेस्टस कन्वेंशन, 1986 (सं. 162) और सिफारिश (सं. 172)
- रसायन कन्वेंशन, 1990 (सं. 170) और सिफारिश (सं. 177)
- प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं का निवारण कन्वेंशन, 1993 (सं. 174) और सिफारिश (सं. 181)
- हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन, 2019 (सं. 190) और सिफारिश (सं. 206)

प्रमुख कन्वेंशंस और उनसे जुड़ी सिफारिशें

- व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (सं. 155) और सिफारिश, 1981 (सं. 164)
- व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2006 (सं. 187) और सिफारिश (सं. 197)

अन्य उपाय

- व्यवसायगत स्वास्थ्य सेवा कन्वेंशन, 1985 (सं. 161) और सिफारिश (सं. 171)
- व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 का 2002 का प्रोटोकॉल
- श्रमिकों के स्वास्थ्य का संरक्षण सिफारिश, 1953 (सं. 97)
- कल्याण सुविधा सिफारिश, 1956 (सं. 102)
- व्यावसायिक रोग सूची सिफारिश, 2002 (सं. 194)

- स्वच्छता (वाणिज्य और कार्यालय) कन्वेंशन, 1964 (सं. 120) और सिफारिश (सं. 120)
- व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य (गोदी कार्य) कन्वेंशन, 1979 (सं. 152) और सिफारिश (सं. 160)
- निर्माण कार्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1988 (सं. 167) और सिफारिश (सं. 175)
- खदानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1955 (सं. 176) और सिफारिश (सं. 183)
- कृषि में सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 2001 (सं. 184) और सिफारिश (सं. 192)
- समुद्री श्रम कन्वेंशन, 2006 संशोधित (एमएलसी 2006)
- मत्स्य क्षेत्र में श्रम कन्वेंशन, 2007 (सं. 188) और सिफारिश (सं. 199)

- युवा चिकित्सा परीक्षण (उद्योग) कन्वेंशन, 1946 (सं. 77)
- युवा चिकित्सा परीक्षण (गैर औद्योगिक व्यवसाय), कन्वेंशन, 1946 (सं 78)
- युवा चिकित्सा परीक्षण सिफारिश, 1946 (सं. 79)
- युवा चिकित्सा परीक्षण (भूमिगत कार्य) कन्वेंशन, 1965 (सं. 124)
- युवा रोजगार शर्तें (भूमिगत कार्य) सिफारिश, 1965 (सं. 125)

कन्वेंशन संख्या 187, कन्वेंशन संख्या 155 के आधारभूत सिद्धांतों का पूरक है और वे दोनों कार्य के सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के प्रावधान की दिशा में प्रगतिशील और निरंतर सुधार का एक मौलिक दस्तावेज बनाते हैं।[4]

कन्वेंशन संख्या 155 और 187 ने ओएसएच के प्रबंधन के लिए एक **सिस्टम्स एप्रोच** बनाने के सामान्य सिद्धांत तय किए।

कन्वेंशन नंबर 155 एक सुसंगत राष्ट्रीय ओएसएच नीति अपनाये जाने की अपील करता है। इसमें यह उम्मीद की गई है कि राष्ट्रीय और उपक्रम के स्तर पर कार्रवाई की जाए और इसके लिए ओएसएच के क्षेत्र में मुख्य जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। कन्वेंशन नंबर 187 राष्ट्रीय निवारक ओएसएच परिवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से राष्ट्रीय नीतियों, प्रणालियों और कार्यक्रमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करता है तथा सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक सिस्टम एप्रोच को अपनाता है। संबंधित ओएसएच उपायों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ऐसे सिस्टम्स एप्रोच को लागू किया जाना चाहिए।

ओएसएच में **निवारण सिद्धांत** प्रमुख हैं, जो कि कन्वेंशन संख्या 155 और 187, साथ ही ओएसएच के दूसरे उपायों में सुस्पष्ट है। उदाहरण के लिए कन्वेंशन संख्या 155 कहता है कि राष्ट्रीय नीति का "उद्देश्य" "दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य को क्षति की रोकथाम" करना है। कन्वेंशन संख्या 187 इस बात को मान्यता देता है कि निवारण के सिद्धांत को "सर्वोच्च प्राथमिकता" दी जानी है।

कन्वेंशन संख्या 155 और 187 निर्णय लेने की प्रक्रिया में परामर्श और सहयोग से संबंधित स्पष्ट प्रावधानों के जरिए **नियोक्ताओं और श्रमिकों की भागीदारी** पर जोर देते हैं।

> 2022 के कार्यस्थल पर मूलभूत सिद्धांतों और अधिकारों के आईएलओ फ्रेमवर्क में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश के समावेश के प्रस्ताव में सामाजिक भागीदारों के बीच संवाद और सहयोग के महत्व को स्वीकार किया गया है। उसमें कहा गया है कि "कार्य संबधी सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण के लिए जरूरी है कि स्पष्ट अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की प्रणाली, साथ ही सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के संवाद और सहयोग के जरिए सक्रिय भागीदारी हो।"

इसके अतिरिक्त इन कन्वेंशंस में यह खास तौर से कहा गया है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार में सरकारो, नियोक्ताओं और श्रमिकों की पूरक भूमिका होती है। कन्वेंशन संख्या 155 कहता है कि राष्ट्रीय ओएसएच नीति की संकल्पना में "सार्वजनिक प्रशासन, नियोक्ताओं, श्रमिकों और अन्य के... संबंधित कार्यों और जिम्मेदारियों का संकेत मिलना चाहिए।" इसमें ओएसएच पर राष्ट्रीय अधिकारियों के मुख्य कार्यों को स्पष्ट किया गया है, नियोक्ताओं की जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है और श्रमिकों तथा उनके प्रतिनिधियों के अधिकारों और भूमिकाओं की व्याख्या की गई है। कन्वेंशन संख्या 187 "स्पष्ट अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की प्रणाली" को "राष्ट्रीय निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति" का एक अंग बताता है।

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य सिफारिश, 1981 (संख्या 164) और व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (संख्या 155) का प्रोटोकॉल, 2002 कन्वेंशन संख्या 155 पूरक हैं, जबकि व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क सिफारिश, 2006 (संख्या 197) कन्वेंशन संख्या 187 की पूरक है। यह सिफारिश अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करती है।

4 कन्वेंशन संख्या 155 और 187, दोनों में क्रमिक तरीके की बात कही गई है। उदाहरण के लिए कन्वेंशन नंबर 155 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ओएसएच से संबंधित विभिन्न पहल "क्रमशः की जानी हैं" (अनुच्छेद 11)। कन्वेंशन नंबर 187 के उद्देश्य कार्य के सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण को तैयार करना को "क्रमशः" हासिल किया जाएगा (अनुच्छेद 2) और ओएसएच के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली भी "क्रमशः" विकसित की जाएगी (अनुच्छेद 4(1))।

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कन्वेंशन, 1981 (संख्या 155)

कन्वेंशन संख्या 155 कार्य के संबंध में स्वास्थ्य को इस प्रकार परिभाषित करता है, "केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं; इसमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली शारीरिक और मानसिक स्थितियां भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष रूप से काम पर सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित हैं" (अनुच्छेद 3(ई))।

राष्ट्रीय नीति

अनुच्छेद 4 में सदस्य राज्यों से अपेक्षित है कि वे "राष्ट्रीय परिस्थितियों और कार्य पद्धतियों के मद्देनजर और नियोक्ताओं और श्रमिकों के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले संगठनों की सलाह से" व्यावसायिक सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और कार्यगत वातावरण पर एक सुसंगत राष्ट्रीय नीति तैयार, उन्हें लागू और समय-समय पर उनकी समीक्षा करेंगे।" इस नीति का उद्देश्य "काम के माहौल में निहित खतरों के कारणों को, जहां तक संभव हो, कम करके, काम के दौरान उत्पन्न होने वाली, उससे जुड़ी या होने वाली "दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य संबंधी चोटों का उन्मूलन करना होगा।"

अनुच्छेद 5 में उन क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया है, जिन्हें किसी नीति में कार्रवाई के लिए चुना जाना चाहिए, जैसे:

- कार्य के भौतिक तत्वों का डिजाइन, टेस्टिंग, चुनाव, विकल्प, इंस्टॉलेशन, प्रबंधन, प्रयोग और रखरखाव;
- कार्य के भौतिक तत्वों और उन व्यक्तियों के बीच संबंध, जो कार्य करते या उसका निरीक्षण करते हैं, मशीनरी, उपकरणों, काम के घंटों, कार्य के आयोजन और कार्य प्रक्रियाओं को श्रमिकों की भौतिक और मानसिक क्षमताओं के साथ अपनाना;
- सुरक्षा और स्वास्थ्य के पर्याप्त स्तर को हासिल करने के लिए प्रशिक्षण, क्वालिफिकेशन और प्रेरणा;
- कार्य समूह और उपक्रमों तथा राष्ट्रीय स्तर तक के एवं उसके सहित सभी उपयुक्त स्तरों पर संचार एवं सहयोग; और
- राष्ट्रीय ओएसएच नीति के अधीन किए गए कर्मों के लिए श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों का संरक्षण ।

अनुच्छेद 6 में प्रावधान है कि नीति में सार्वजनिक प्रशासन, नियोक्ताओं, श्रमिकों और अन्य लोगों के ओएसएच संबंधी कार्यों और जिम्मेदारियों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसमें ऐसी जिम्मेदारियों की प्रकृति और राष्ट्रीय स्थितियों और कार्य पद्धतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई

नीति को लागू करने के लिए कन्वेंशन संख्या 155 सदस्यों से अपील करता है कि वे नियोक्ता तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की सलाह से राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी कार्रवाई करें, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- निरीक्षण की उचित और उपयुक्त प्रणाली द्वारा तथा उल्लंघन के लिए उपयुक्त दंड का प्रावधान करके, ओएसएच कानूनों और विनियमों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना (अनुच्छेद 9);
- नियोक्ताओं और श्रमिकों को मार्गदर्शन प्रदान करना ताकि कानूनी दायित्वों के अनुपालन में उनकी मदद की जा सके (अनुच्छेद 10);
- यह सुनिश्चित करना कि डिजाइनर्स, मैन्यूफैक्चरर्स, आयातक, प्रदाता अथवा मशीनों, उपकरणों या व्यावसायिक उपयोग के पदार्थों के हस्तांतरणकर्ताओं को उनके सुरक्षित उपयोग की जानकारी उपलब्ध हो और यह गारंटी देना कि, जहां तक कि यह उचित रूप से उपयोग करने योग्य हो, ऐसी मशीनरी, उपकरण या पदार्थ उन्हें उचित रूप से इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा नहीं करते (अनुच्छेद 12);
- उन श्रमिकों की रक्षा करना जिन्होंने खुद को ऐसी कार्य स्थिति से हटा लिया है जिसके बारे में उनके पास यह मानने का तर्कसंगत कारण है कि राष्ट्रीय परिस्थितियों और कार्य पद्धतियों के अनुसार अनुचित परिणामों से उनके जीवन या स्वास्थ्य के लिए एक निकट और गंभीर खतरा पैदा होता है (अनुच्छेद 13); और
- शिक्षा और प्रशिक्षण जिसमें उच्च तकनीकी, मेडिकल और पेशेवर शिक्षा शामिल है, के सभी स्तरों पर ओएसएच मुद्दों को शामिल करने को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 14)।

नीति (...) को लागू करने के लिए **सक्षम अधिकारी/या अधिकारियों** को निम्नलिखित कार्यों को सुनिश्चित करना होगा:

- उपक्रमों के डिजाइन, निर्माण और लेआउट, उनके कामकाज की शुरुआत, बड़े बदलाव, काम में उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरणों की सुरक्षा, साथ ही संबंधित प्रशासन द्वारा परिभाषित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाली स्थितियों का निर्धारण (जहां खतरों की प्रकृति और स्तर की आवश्यकता होती है);
- कार्य प्रक्रियाओं और उन पदार्थों और एजेंटों का निर्धारण जिनके संपर्क को संबंधित प्रशासन द्वारा निषिद्ध, सीमित या मंजूर या नियंत्रण के अधीन किया जाना है;[5]
- व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की सूचना के लिए नियोक्ताओं और, जब उचित हो, बीमा संस्थानों और सीधे संबंधित अन्य लोगों द्वारा प्रक्रियाओं की स्थापना और कार्यान्वयन, और वार्षिक आंकड़ों को तैयार करना;
- उन मामलों की जांच करना, जहां व्यावसायिक दुर्घटनाएं और बीमारियां या कार्य संबंधी चोट गंभीर स्थितियों को दर्शाती हों;
- नीति के अनुरूप किए गए उपायों और व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों और अन्य चोटों की जानकारियों का वार्षिक प्रकाशन जो काम के दौरान या उसके संबंध में उत्पन्न होती हैं; और
- श्रमिकों के स्वास्थ्य के जोखिम से संबंधित रासायनिक, भौतिक और जैविक एजेंटों की जांच करने के लिए ताने-बाने को पेश करना या उनका विस्तार, जिसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों और संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा (अनुच्छेद 11)।

5 कई पदार्थों या एजेंटों के एक साथ संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उपक्रम के स्तर पर कार्रवाई

कन्वेंशन संख्या 155 नियोक्ताओं की प्रमुख जिम्मेदारियों के साथ-साथ श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के बुनियादी अधिकारों और भूमिकाओं को परिभाषित करता है।

नियोक्ताओं हेतु निम्नलिखित आवश्यकताएं:

- उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, उनके नियंत्रण में काम करने की जगह, मशीनरी, उपकरण और प्रक्रियाएं सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए जोखिम से रहित हों (अनुच्छेद 16(1));
- उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, सुरक्षा के उचित उपाय किए जाने पर उनके नियंत्रण में रासायनिक, भौतिक और जैविक पदार्थ और एजेंट स्वास्थ्य के लिए जोखिम से मुक्त हों (अनुच्छेद 16(2)); और
- जहां जरूरी हो और श्रमिकों को बिना लागत, ऐसे उपयुक्त सुरक्षात्मक वस्त्रों और उपकरणों का प्रावधान करना जोकि, जहां तक उचित रूप से व्यवाहारिक हो, दुर्घटनाओं के जोखिम या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करे (अनुच्छेद 16 (3) और 21)।

जब भी दो या दो से अधिक उपक्रम एक ही कार्यस्थल पर संलग्नता से क्रियान्वित हों, तो उन्हें कन्वेंशन (अनुच्छेद 17) की शर्तों को लागू करने में सहयोग करना होगा (अनुच्छेद 17)।

नियोक्ताओं को, आवश्यकतानुसार, पर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था सहित आपात स्थिति और दुर्घटनाओं से निपटने के उपाय प्रदान करने होंगे (अनुच्छेद 18)।

इसके अलावा, अनुच्छेद 19 के अनुसार, **उपक्रम के स्तर पर ऐसी व्यवस्था होगी,** जिसके तहत:

- श्रमिक और उनके प्रतिनिधि ओएसएच के सिलसिले में नियोक्ताओं के साथ सहयोग करते हों;
- श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों को ओएसएच में उचित प्रशिक्षण दिया जाए;
- श्रमिकों के प्रतिनिधियों को ओएसएच को सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाती है और वे ऐसी जानकारी के बारे में अपने प्रतिनिधि संगठनों से परामर्श कर सकते हैं, बशर्ते वे वाणिज्यिक रहस्यों का खुलासा न करें;
- श्रमिक या उनके प्रतिनिधि (या उनके प्रतिनिधि संगठनों), राष्ट्रीय कानून और कार्य पद्धतियों के अनुसार, अपने काम से जुड़े ओएसएच के सभी पहलुओं पर नियोक्ता से पूछताछ और परामर्श के लिए आमंत्रित किए जा सकते हैं- इस उद्देश्य के लिए तकनीकी सलाहकारों को, आपसी सहमति से, उपक्रम के बाहर से लाया जा सकता है;
- एक श्रमिक किसी भी ऐसी स्थिति के बारे में अपने तत्काल सुपरवाइजर को तुरंत रिपोर्ट कर सकता है जिसके बारे में उसके पास यह मानने का तर्कसंगत औचित्य है कि यह उनके जीवन या स्वास्थ्य के लिए एक निकट और गंभीर खतरा है; जब तक नियोक्ता उपचारात्मक कार्रवाई नहीं करता है, बल्कि आवश्यक होने पर, तब तक वह श्रमिकों को ऐसी कार्य स्थिति में लौटने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, जब तक जीवन या स्वास्थ्य के लिए लगातार निकट और गंभीर खतरा हो।

कन्वेंशन संख्या 155 प्रबंधन और श्रमिकों और/या उनके प्रतिनिधियों के बीच सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसे कार्यस्थल के स्तर पर किए जाने वाले उपायों का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है (अनुच्छेद 20)। कन्वेंशन संख्या 155 में यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि ओएसएच उपाय करने का खर्चा श्रमिकों को नहीं उठाना होगा (अनुच्छेद 21)।

व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2006 (सं. 187)

कन्वेंशन संख्या 187 में श्रमिकों के सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी माहौल के अधिकार को सभी संबंधित स्तरों पर बढ़ावा देने और उन्हें गतिशील करने की अपील की गई है (अनुच्छेद 3(2))।

इसमें सदस्य देशों से अपेक्षा की गई है कि वे व्यावसायिक चोटों, बीमारियों और मौतों को रोकने हेतु ओएसएच में निरंतर सुधार के लिए एक राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय प्रणाली और राष्ट्रीय कार्यक्रम को विकसित करेंगे, और इसके लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों के सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाले संगठनों के परामर्श करेंगे। इस प्रक्रिया को ओएसएच प्रमोशनल फ्रेमवर्क से संबंधित आईएलओ उपायों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए (अनुच्छेद 2(1) और 2(2))।

कन्वेंशन संख्या 187 अपने सामान्य उद्देश्यों को बताते हुए, सदस्य देशों से अपील करता है कि वे नियोक्ताओं और श्रमिकों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाले संगठनों के परामर्श से, समय-समय पर विचार करें कि आईएलओ के **संबंधित ओएसएच कन्वेंशंस को मंजूरी करने के लिए क्या-क्या उपाय** किए जाने चाहिए (अनुच्छेद 2.3)।

राष्ट्रीय नीति

कन्वेंशन संख्या 187, कन्वेंशन संख्या 155 में परिभाषित नीति, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की पुष्टि करता है।

यह उन बुनियादी सिद्धांतों पर अधिक विवरण प्रदान करता है जिन्हें बढ़ावा दिया जाएगा (राष्ट्रीय परिस्थितियों और कार्य पद्धतियों के मद्देनजर और नियोक्ताओं और श्रमिकों के सबसे प्रतिनिधित्व संगठनों के परामर्श से):

- व्यावसायिक जोखिमों और संकट का आकलन करना;
- स्रोत पर व्यावसायिक जोखिमों और संकट को काबू में करना; और
- एक राष्ट्रीय निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति विकसित करना जिसमें सूचना, परामर्श और प्रशिक्षण शामिल हो (अनुच्छेद 3.3)।

राष्ट्रीय निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति का अर्थ एक ऐसी संस्कृति है, जिसमें काम के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल के अधिकार का सभी स्तरों पर सम्मान किया जाता है, जहां सरकार, नियोक्ता और श्रमिक परिभाषित अधिकारों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की प्रणाली के जरिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और जहां रोकथाम के सिद्धांत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है (अनुच्छेद 1(डी))

राष्ट्रीय प्रणाली

सदस्य राज्य नियोक्ताओं और श्रमिकों के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाले संगठनों के परामर्श से एक राष्ट्रीय ओएसएच प्रणाली की स्थापना, उनका रखरखाव, उत्तरोत्तर विकास और समय-समय पर उनकी समीक्षा करेंगे (अनुच्छेद 4.1)।

> **व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय प्रणाली** का अर्थ एक ऐसा ढांचा होता है जोकि ओएसएच पर राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मुख्य फ्रेमवर्क प्रदान करता है (अनुच्छेद 1 (बी))।

राष्ट्रीय ओएसएच प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं (अनुच्छेद 4 (2):

- कानून और विनियम, सामूहिक समझौते, यदि उपयुक्त हो तथा ओएसएच संबंधी अन्य यंत्र/उपाय;
- ओएसएच के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी या निकाय (या एक से अधिक भी);
- निरीक्षण प्रणालियों सहित कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यंत्र; और
- उपक्रम के स्तर पर, कार्यस्थल से संबंधित निवारक उपायों के एक आवश्यक तत्व के रूप में प्रबंधन, श्रमिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की व्यवस्था।

ओएसएच प्रणली में निम्नलिखित शामिल होंगे, जहां उपयुक्त हो (अनुच्छेद 4 (2):

- एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सलाहकार निकाय, जो ओएसएच मुद्दों को संबोधित करता है;
- ओएसएच पर सूचना और परामर्श सेवाएं;
- ओएसएच प्रशिक्षण का प्रावधान;
- राष्ट्रीय कानून और कार्य पद्धतियों के अनुरूप व्यावसायगत स्वास्थ्य सेवाएं [6]
- ओएसएच पर अनुसंधान;
- संबंधित आईएलओ उपायों के मद्देनजर व्यावसायिक चोटों और बीमारियों पर डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए एक तंत्र;[7]
- व्यावसायिक चोटों और बीमारियों को कवर करने वाली संबंधित बीमा या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ सहयोग के प्रावधान; और
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में ओएसएच स्थितियों में क्रमिक सुधार के लिए सहयोग करना।

6 व्यवसायगत स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना, उनके कामकाज और संगठन पर अधिक जानकारी Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) और उससे संबंधित Recommendation (No. 171) में उपलब्ध है।

7 रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और अधिसूचना की प्रक्रियाओं पर अधिक जानकारी Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय कार्यक्रम

सदस्य राज्य नियोक्ताओं और श्रमिकों के सबसे श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व वाले संगठनों के परामर्श से ओएसएच पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करेंगे, उनका कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करेंगे और समय-समय पर उनकी समीक्षा करेंगे (अनुच्छेद 5.1)।

> **व्यवसायगत सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम** का अर्थ है, एक ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें पूर्व निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, ओएसएच के लिए तैयार की गई प्राथमिकताएं और कार्यवाही के साधन और प्रगति का आकलन करने के साधन शामिल होते हैं (अनुच्छेद 1 (सी))।

ओएसएच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम को निम्नलिखित करना चाहिए:

- उसे राष्ट्रीय निवारक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए;
- उसे व्यवसायगत चोटों, बीमारियों और मौतों को रोकने और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय कानून और कार्य पद्धतियों के अनुसार, कार्य संबंधी जोखिमों को, जहां तक उचित रूप से व्यावहारिक हो, खत्म करना या उन्हें कम से कम करके श्रमिकों के संरक्षण में योगदान देना चाहिए;
- उन्हें राष्ट्रीय स्थितियों के विश्लेषण, जिसमें ओएसएच के लिए राष्ट्रीय व्यवस्था का विश्लेषण शामिल है, के आधार पर कार्यक्रम को तैयार करना चाहिए और उनकी समीक्षा करनी चाहिए;
- इसमें उद्देश्य, लक्ष्य और प्रगति के संकेतक शामिल हैं; और
- जहां संभव हो, दूसरे पूरक राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए जो क्रमिक रूप से काम के सुरक्षित और स्वस्थ माहौल को प्राप्त करने में मदद करेगा।

राष्ट्रीय कार्यक्रम को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा और, जहां तक संभव हो, उच्च आधिकारिक स्तर पर द्वारा इसका समर्थन और इनका विमोचन किया जाएगा।

> संबंधित सिफारिश संख्या. 197 यह स्पष्ट करती है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को तैयार और उनकी समीक्षा करते हुए सदस्य देशों को सिफारिश के परिशिष्ट में सूचीबद्ध ओएसएच के लिए प्रमोशनल फ्रेमवर्क से संबंधित संगठन के कन्वेंशंस को ध्यान में रखना चाहिए।

... हम एकजुट होकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि सभी सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से काम कर सकें।

...हमारी प्रतिबद्धता की सफलता की माप की दर रोके गए कार्यस्थल पर दुर्घटना एवं बीमारियों से तथा संरक्षित जिंदगियों से होगी।

वास्तविकता में, इससे ज्यादा मूलत: महत्वपूर्ण क्या हो सकता है?

गाए राइडर,
आईएलओ महानिदेशक

अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का
110वां सत्र, जून 2022

लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर इंस्पेक्शन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ब्रांच (LABADMIN/OSH)

गवर्नेंस एंड ट्राइपरटिस्म डिपार्टमेंट (GOVERNANCE)

इंटरनेशनल लेबर ऑफिस
4 रूट द मोरिलॉन्स
सीएच-1211 जिनेवा 22- स्विट्ज़रलैंड

टेली- +41 (0) 22 799 6111
ईमेल- labadmin-osh@ilo.org

Ilo.org/labadmin-osh

सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण ही कार्यस्थल का मूलभूत सिद्धांत और अधिकार तथा उत्कृष्ट श्रम के लिए महत्वपूर्ण है